बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 330162 पटना, दिनांक :- 25/9/2017

ग्रा0वि0-15 स्वच्छता- 108/2016

प्रेषक,

बालामुरूगन डी. भा.प्र.से.,
आयुक्त स्वरोजगार,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बिहार ।

विषय :- GeoTagging के कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि के दर के निर्धारण के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त करने का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है । IHHL निर्माण एवं इसकी प्रोत्साहन राशि के भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता हेतु निर्मित शौचालयों की GeoTagging अत्यंत आवश्यक है । साथ ही पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा अगली केन्द्रांश किश्त की विमुक्ति हेतु कुल निर्मित IHHL के 80% को GeoTagging किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है ।

राज्य में अब तक 4.34% IHHL को GeoTag किया गया है । GeoTagging की प्रक्रिया में आवश्यक गति प्रदान करने हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा GeoTagging के कार्य हेतु Rs.5/-(पाँच रूपये) / IHHL के दर से प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी जाती है, जिसमें परिवहन भत्ता एवं Data Pack (Net Pack) शुल्क सम्मिलित है । यह प्रोत्साहन राशि GeoTagged Photo के अनुमोदन के उपरांत भुगतेय होगी ।

GeoTagging के कार्य हेतु जिला द्वारा पंचायत सेवक, ग्रामीण आवास सहायक, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, ऑंगनबाड़ी सेविका, जीविका के सामुदायिक सेवी, सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं प्रखंड समन्वयक (BC) इत्यादि की सेवा प्राप्त की जा सकजी है ।

इस संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.11.2017 से IHHL के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु GeoTagging अनिवार्य होगी ।

अतः अनुरोध है कि निर्मित IHHL के GeoTagging किये जाने हेतु सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाय एवं Rs.5/-(पाँच रूपये) / IHHL की दर से GeoTagged Photo के अनुमोदन के उपरांत संबंधित कर्मियों को IEC-SBM(G) मद से प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

25/9/17

(बालामुरूगन डी.)
आयुक्त स्वरोजगार ।